भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



Proposed By

Mungeli

13/01/2014

{village-status}

{village-formed}

{village-name-eng}

{village-name-local}

Lormi

LGD Notification

Invalidate Village(s)

Published By

Name	SANTOSH KUMAR DEWANGAN	Name	ARVIND SINGH
Designation	Additional Commissioner	Designation	ASST PROGRAMMER
Mobile no.	9425253589	Mobile no.	9575081711
IP Address	59.95.92.89	IP Address	10.132.213.12
On date	18/04/2024	On date	18/04/2024

District Name
Sub District Name
Village Name (In English)
Village Name (In Local language)
Village Effective Date

Village Status

How to Village is Formed?

INVALIDATE VILLAGES LIST

Village Code	Village Name
929019	Manjoorha

Mungeli, the 13th January 2014

NOTIFICATION

No./R. Coll./2013-14/262.— Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee Mungeli (Name of District) under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and Other Iraditional Forest Dewllers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007).

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 reads with section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement Officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersigned.

Therefore, in exercise of the powers conferred by section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (in hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ŀ.	Chakda	71.629	North-Comptt. No. 427 South- Comptt. No. 473 East-Comptt. No. 457 West- Comptt. No. 461	33	Bijarakachhar	Lormi	Mungeli

Collector, District-Mungeli.

मुंगेली, दिनांक 13 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/वा. कले./2013-14/262.—यत: अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति जिला मुंगेली के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वनग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है.

और यत,, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकोरियों की शक्तियाँ अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छत्तीसगढ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वनग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :-

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वन ग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	मंजुरहा	220.400	उत्तर-चकदा नाला दक्षिण-कक्ष क्र. 474 पूर्व-खुड़िया बांध पश्चिम-चकदा वनमार्ग	33	बिजराकछार	लोरमी	मुंगेली

कलेक्टर, जिला-मुंगेली.

(14)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2014

Mungeli, the 13th January 2014

NOTIFICATION

No./R. Coll./2013-14/262.— Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee Mungeli (Name of District) under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dewllers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007).

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 reads with section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement Officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersigned.

Therefore, in exercise of the powers conferred by section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No. (1)	Name of Forest Village (2)	Total Area of Village (in hectare) (3)	Boundaries of Forest Village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tabsil District (7) (8)
1.	Manjuraha	220.400	North-Chakda nala South- Comptt. No. 474 East-Khudiya Daim West- Chakda forest road	33	Bijarakachhar	1.ormi Mungeli

Collector, District-Mungeli.

मुंगेली, दिनांक 13 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/वा. कले./2013-14/262.—यत: अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति जिला मुंगेली के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वनग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है.

और यत:, छत्तीसगढ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकोरियों की शक्तियाँ अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छत्तीसगढ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रवत्त शवितयों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोपित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वनग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :-

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वन ग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	निवासखार	215.500	उत्तर-कक्ष क्र. 504 दक्षिण-कक्ष क्र. 443 पूर्व-कक्ष क्र. 441 पश्चिम-नदी	25	निवासखार	लोत्मी	मुंगेली

कलेक्टर, जिला-मंगेली.